राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
मिनिरत्न कम्पनी
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़
फैक्स -01509 -223877

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 223874, 221420, 223876
e-mail – CSFSURATGARH @rediffmail.com

क्रमांक सी.एस.एफ / सूरत / सुरक्षा / 04 / 2019. 20 दिनांक 17.04.2019

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ (राज.) में फार्म की सुरक्षा हेतु गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका देने की अवधि दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक निविदाएं दिनांक 13.05.2019 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 3:00 बजे फार्म की गठित समिति द्वारा निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। नियम व शर्तो का विवरण तथा निविदा प्रपत्र 17.04.2019 से 10.05.2019 तक रू. 118/– देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त किये जा सकते है। परंतु डाऊनलोड किए गए प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रू. 118.00 व प्रत्येक ठेके लिए वर्णित निश्चित **धरोहर राशि रूपये 50,000 का बैंक ड्राफ्ट National Seeds Corporation Ltd. Payable at Suratgarh** निविदा के साथ जमा करवाने होंगे।

सुरक्षा अधिकारी
कृत निदेशक

फार्म संपदा खड़ी फसल संग्रहित फसल एंव अन्य फार्म संसाधनों को पशु/पशुधन व अन्य से बचाने हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने बाबत ठेका।

1. फार्म संपदा, खडी फसल, संग्रहित फसल, पेड चल अचल संपति एंव अन्य संसाधनों को पशु /पशुधन एंव अन्य से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो जहाँ है जैसा है आधार पर चौबीस घंटे सातों दिन सुरक्षा हेतु मानव संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। करार की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से [illegible]
2. निविदाता निविदा के नियम एंव शर्तों की प्रति निविदा शुल्क रू.100/– का भुगतान कर फार्म के सुरक्षा विभाग से किसी कार्य दिवस के दिन दिनांक .... से .... तक प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त कर सकते है। वेबसाईट से डाऊनलोड किए गए निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में रू. 100/– (Non refundable) की डी.डी. जो National Seeds Corporation Ltd. Suratgarh Payable at Suratgarh लगाना आवश्यक है।
3. निविदाता भरी हुई निविदा दिनांक .... को समय........ तक जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निर्धारित तिथि दिनांक .... को समय...... तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बीड उसी दिन .... बजे खोली जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदाताओं की वित्तिय बीड सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त उत्तरोत्तर खोला जायेगा।
4. निविदाता पार्टियों के पास कृषि फार्म से संबंधित सरकारी/अर्धसरकारी/[illegible] संस्था में कृषि फार्म को संतोषजनक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का [illegible] अनुभव या गैर सरकारी कृषि फार्म में कम से कम पाँच सौ एकड़ क्षेत्र में [illegible] को उपलब्ध कराने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। [illegible] संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र [illegible] ही संबंधित संस्था से कार्य आदेश की प्रति व कृषि फार्म का क्षेत्रफल संलग्न करें।
5. पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण [illegible] ईपीएफ पंजीकरण संख्या,ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो तो) [illegible] प्रमाण पत्र, लेबर लाइसेंस पूर्व मे कराये गये कार्य हेतु (यदि कोई हो तो) एंव PSA License की प्रति एंव दो पासपोर्ट साईज फोटो लगाना आवश्यक है । साथ ही पार्टी को एक शपथ पत्र दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नही डाला गया है।यदि किसी पार्टी के लेबर विभाग में फर्म का पंजीकरण कराये जाने /कराने की प्रति एंव PSA License नही है, तो उन्हें इस बाबत Undertaking देनी होगी कि वे Labour License/ PSRA License की प्रति [illegible] जमा करा देंगें, जमा न कराने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन पार्टी [illegible] /प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ –साथ उनका ठेका रद्द कर सकता है।

6. निविदा के नियम शर्तो की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम एंव शर्तो के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व–सत्यापित है।

7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड व बाग एंव फार्म मुख्यालय की धरोहर राशि 20000–20000/– का डिमांड ड्राफ्ट [illegible] National Seeds Corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

8. एक पार्टी को केवल एक ही खण्ड का ठेका दिया जाएगा। संविदा फार्म पर [illegible] जायेगी।

9. सफल निविदाता को प्रत्येक खण्ड के सुरक्षा ठेके के लिए रू. 250000/– (दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड,बाग एंव फार्म मुख्यालय प्रत्येक की 50000/– (धरोहर राशि व प्रतिभूत राशि मिलाकर) जमा कराना होगा। सफल निविदाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूत राशि मे समायोजित कर दी जायेगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।

10. धरोहर राशि /प्रतिभूत राशि पर कोई भी ब्याज देय नही होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अंदर उनके लिखित अनुरोध पर उत्तरोत्तर वापस की जायेगी।

11. ठेकेदार एव उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय , थलीय जीव जन्तुओं [illegible] मोर , तीतर आदि पक्षियो को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेगें , उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुँचायेंगे और नही पहुँचाने देंगें।

12. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पाद जैसे पेड़ पौधे , लकड़ी दवा रासायनिक खाद, [illegible] फार्म की मिटटी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नही ले जाने देगा और न स्वयं ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदृढ़ [illegible] ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म का [illegible] करेगा।

13. यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षेत्र मे संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों [illegible] प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आंवटित क्षेत्र मे किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।

14. ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि पशुधन द्वारा अवैध जबरदस्ती नाली पानी को न रोकना/बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एंव अन्य से फसल /फार्म संपदा को कोई नुकसान न हो।

15. ठेकेदार को फसल व फार्म संपदा को बचाने हेतु विभिन्न चकों/पोटलों/[illegible] इत्यादि जिनकी जानकारी समय समय पर फार्म प्रबंधन द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगें। ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि जहाँ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहा दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चक/पाईंट से जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चत करेगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी [illegible] तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नही करेंगे अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

16. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जायेगा जिसका चाल-चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची मे न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नही दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।

17. ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नही होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगडा इत्यादि नही करेगें। कोई विवाद होने पर इसकी रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देगें।

18. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार स्वंय भी फार्म से संबंधित खण्ड/इकाई में उपस्थित रहैगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नही देगा अर्थात Sub-letting नही करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उनसे फार्म की फसलों तथा फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का तत्परता से पालन करेगा। निर्देशों की अवेहलना की स्थिति मे फार्म प्रबंधक उनका ठेका रद्द करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

19. ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगडा/संसाधनों की बर्बादी व चोरी होने की रिपोर्ट स्वंय पुलिस थाने मे करेगा। इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति मे खर्च का वहन स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा इस संबंध में फार्म कोई भी खर्च वहन नही करेगा। एफ.आई.आर की छाया प्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत करनी होगी।

20. सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु फार्म ठेकेदार को किसी भी प्रकार का वाहन व संसाधन उपलब्ध नही करवायेगा। ठेकेदार को इन सभी संसाधनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा इस पर होने वाले खर्च का वहन ठेकेदार को स्वयं करना होगा।

21. ठेकेदार से प्राप्त सुव्यवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः आगामी महीने में चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके लगाये गये सुरक्षा गार्ड के संबधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई व सेवा कर इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उसके प्रमाण दस्तावेज लगाने होगें। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैड गार्ड के संतोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लागू GST जो भी नियमानुसार बनेगा वह बिल से काटा जायेगा।

22. ठेकेदार को राजस्थान मे लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 सहित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वंय उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध मे फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नही होगी।

23. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रू. 100/- (रूपये सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस पर होने वाला खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

24. ठेकेदार फार्म मे सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

25. ठेकेदार जो भी सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को देगा।

20. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एवं शर्तो की अनुपालना नही की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ – साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म सम्पदा, फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।

27. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढा सकता है। जिसकी नियम शर्ते पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।

28. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना वैध परमिट के न आए तथा अवांछित चराई न हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।

29. ठेकेदार को संबंधित चक की चल–अचल सम्पति जैसे खड़े पेड़ो एवं अन्य फार्म सम्पति "जो जहाँ हो" के अनुसार रात्रि व दिन में उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा। 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेंगे।

30. ठेकेदार सुरक्षा गार्ड को सीटी, लाठी , टॉर्च एवं अन्य जरूरी संसाधन जो फार्म उत्पादन एवं सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों को पहचान पत्र देगा जो कि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टिगोचर रूप से लगाना होगा।

31. ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित/अपराधी सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नहीं लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसने अहित किया हो उसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी/कर्मचारी से द्वेष रखता हो।

32. फार्म सपदा, फसल एंव इसकी चल अचल संपति के नुकसान की स्थिति में इसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

33. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र [illegible] होनी चाहिए। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की [illegible] होगी।

34. ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय में देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नही होगा। यदि ठेकेदार उन्हे न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने में असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान [illegible] राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा। तथा इस मद में आने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार को देय बिल/उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

35. ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्डों का [illegible] मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान व जिसका रिकार्ड [illegible] मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा।

36. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हड़ताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अथवा [illegible] के अंतर्गत आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की ही होगी।

37. यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच में छोड़ता है या इस करार के किसी नियम अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसकी धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

38. इस अनुबंध से संबंधित किसी विवाद, झगड़े या मतभेद की स्थिति को दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में इस करार से संबंधित पक्षकार के आग्रह पर इसके उल्लंघन से संबंधित इस प्रकार के झगड़े, विवाद [illegible] या दावों को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक द्वारा नियुक्त पंच द्वारा सुलझाया जायेगा। [illegible] का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा इससे संबंधित किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय हेतु सूरतगढ़ क्षेत्र ही मान्य होगा।

39. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताए ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं।

40. यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तों का उल्लघंन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समुचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की फसलों, मशीनों व सम्पदा आदि की सुरक्षा करने में अक्षम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार /फर्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक–लिस्ट कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

41. यदि फार्म में कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेटी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित [illegible] यदि समय पर नहीं आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।

42. फार्म की किसी भी प्रकार की फसल,मशीन,सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाध्य होगा।

43. ठेकेदार निगम के विरूद्ध किसी भी भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार निगम विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।

44. सुरक्षा ठेकेदार तीनों खण्डों में बने हुये फाटक में आवारा पशु नहीं आयेंगे तथा आवारा पशुओं को सूरतगढ़ की गौशाला में भेजेगें। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु नीलगाय, भेड़, बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाइंट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटौती की जायेगी।

45. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करनी होगी।

46. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड में अगर कोई चक आउट–सोर्सिंग के लिए दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट–सोर्सिंग वाले ही करेंगे और उस चक की सुरक्षा हेतु ... रूपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे।

47. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुँचायेंगे और नही उसका उपयोग करेंगे। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

48. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी/सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है अथवा लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ले।

घोषणा:–

मैंने फार्म के सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्तें पढ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशहवास में किये है। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई है तथा यह शर्त केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनाक ....

स्थान ....

सुरक्षा अधिकारी

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सूरतगढ/04/सुरक्षा/2019– दिनांक .... निविदा [illegible]

उप– महाप्रबन्धक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

निविदा खोलने की दिनाँक :– 13.05.2019 स्थान :– केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

विषय :– केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति [illegible]
दिनांक 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 [illegible] हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम :– ....
2. पिता /पति का नाम :– ....
3. पूरा पता :– ....

....

....

4. दूरभाष / मो0 न0 :– ....
5. पैन न0 :– .... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र न0 (वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि) .... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क (रू0 118/– रसीद संख्या .... दिनांक .... [illegible]
संख्या .... दिनाँक ....

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनाँक 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक ठेके पर देने बाबत (तकनीकी निविदा प्रपत्र)

क्र0 सं0	पार्टी का नाम	अनुभव प्रमाण पत्र कृषि फार्म का	आयकर वैलेड पेन कार्ड	पार्टी की पंजीकरण (जीएसटी)	लेबर लाईसेंस	सिक्योरिटी लाईसेंस	पुलिस प्रमाण पत्र [illegible]	E.P.F. [illegible]	[illegible]

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ____________________

पता ____________________

मोबा0 नं0 ____________________

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनाँक 1.07.2019 से 30.06.2020 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	1.07.2019 से 30.06.2020 (एक वर्ष हेतु)
खण्ड 01 A	
खण्ड 01 B	
खण्ड 02	
खण्ड 03	
खण्ड 03 (बाग) EPO	
फार्म मुख्यालय	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम____________________

पता____________________

मो0 न0

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के अधिकार में सम्मिलित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि [illegible] 2020 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र0 सं0	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि [illegible]
1	खण्ड 1 A	39एसटीजी, 40एसटीजी, 43एसटीजी, पीआरपी-1 पीआरपी-2	[illegible] प्रति खण्ड
2	खण्ड 1 B	38एसटीजी, 41एसटीजी, 40एसटीजी, 42एसटीजी, 44एसटीजी	
3	खण्ड 2	RPM-1, RPM-2, RPM-3,RPM-4, 33PBN ,31A PBN, 31B PBN	
4	खण्ड 3	34 PBN, 3 SGM, 4 SGM, 5 SGM,	
5	खण्ड 3	EPO(बाग गेट सहित)	[illegible]
6	फार्म मुख्यालय	फार्म मुख्यालय	[illegible]

धरोहर राशि का विवरण:–

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:–

ठेका न0	बैंक ड्राफ्ट न0 एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि [illegible]
1			[illegible] प्रति खण्ड
2			
3			
4			
5			20000.00 बीस हजार रुपये मात्र
6			[illegible]

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जावें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते है कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतिलिपि [illegible] तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है।

[illegible]

[illegible]